पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नीरज उधवानी की पार्थिव देह जयपुर लाई गई

जयपुर। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सीए नीरज उधवानी की पार्थिव देह बुधवार रात जयपुर लाई गई। एयरपोर्ट पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में जयपुर वासियों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

राठौड़ ने कहा कि जिस क्रूरता से बेगुनाहों को धर्म पूछकर मारा गया, उसने पूरी मानवता को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इस जघन्य कृत्य के विरुद्ध कड़ा निर्णय लेगी जिससे पूरी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि ऐसा कायराना हमला करने का क्या परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि देश की शांति को भंग करने वाले इस जघन्य और कायरतापूर्ण अपराध के लिए जो भी जिम्मेदार है और जो पर्दे के पीछे से इसमें शामिल हैं, उनको बख्शा नहीं जायेगा।

आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सी.ए.नीरज उधवानी की पार्थिव देह को जयपुर एयरपोर्ट पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की।

■ 'केन्द्र सरकार इस जघन्य कृत्य के विरुद्ध कड़ा निर्णय लेगी जिससे पूरी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि ऐसा कायराना हमला करने का क्या परिणाम होता है'

संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने इस हमले को अत्यंत निंदनीय करार देते हुए कहा कि निहत्थे पर्यटकों पर किया गया यह आतंकी हमला कायरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुःखद घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।

जिला कलैक्टर के आदेश हवा : भीषण गर्मी व तेज़ धूप के कारण जिला कलैक्टर ने सभी स्कूलों में छोटे बच्चों को राहत देते हुए साढ़े ग्यारह तक छुट्टी करने के आदेश दिये लेकिन निजी स्कूल आदेश को नज़र अंदाज़ कर बच्चों को तपती दोपहर में 12 बजे बाद घर जाने को भेज रहे।

विधान मंडलों की समितियों के अध्ययन भ्रमण नवाचारों को साझा करने की अभिनव पहल : वासुदेव देवनानी

जयपुर। केरल विधान सभा की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी समिति ने बुधवार को राजस्थान विधान सभा का अध्ययन भ्रमण किया। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समिति के सभापति और सदस्यों का स्वागत किया। देवनानी ने राजस्थान विधान सभा आये केरल की समिति के सभापति को विधान सभा का साहित्य भेंट किया। केरल समिति के सभापति ने अध्यक्ष देवनानी को शाल एवं केरल विधान सभा का साहित्य भेंट किया। केरल की इस समिति के सदस्यों के साथ देवनानी ने दोनों राज्यों की विधायी व्यवस्थाओं और परंपराओं पर चर्चा की। श्री देवनानी राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों की जानकारी दी। केरल की समिति के सदस्यों ने राजस्थान विधानसभा में किए गए विधायी नवाचारों को बेहतर बताया। देवनानी ने कहा कि देश की विभिन्न राज्यों की विधान मंडलों की समितियो के अध्ययन भ्रमण से विधान मंडलों की कार्य प्रणाली और विधायी प्रक्रियाओं में किए जा रहे नवाचारों को साझा करने की अभिनव पहल है।

केरल विधान सभा की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष के.पी. कुन्हम्मदकुट्टी मास्टर के नेतृत्व में समिति के सदस्य अहमद देवरकोइल, जॉब माइकल और माम्मीकुट्टी. पी ने राजस्थान विधान सभा प्रक्रियाओं, कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। समिति ने विधान सभा का सदन, भवन और राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन किया।

केरल विधान सभा की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी समिति ने राजस्थान विधानसभा का अध्ययन भ्रमण किया।

बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी रूट पर अवैध परिवहन को लेकर मांगा जवाब

जयपुर। हाईकोर्ट ने दौसा जिले के बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी रूट पर अवैध वाहनों के संचालन को लेकर परिवहन सचिव, आयुक्त, स्थानीय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मिनी बस यूनियन, बांदीकुई के महासचिव कुलदीप सिंह यादव की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता उमेश व्यास ने बताया कि याचिकाकर्ता यूनियन के सदस्यों ने बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी रूट पर वाहन चलाने के लिए परिवहन विभाग से परमिट ले रखा है। इसके तहत उन्हें इस रूट पर बस और अन्य वाहन चलाने की मंजूरी मिली हुई है। याचिका में कहा गया कि विगत कुछ माह से इस रूट पर अवैध वाहनों का संचालन बढ गया है। कई लोग निजी वाहनों में भी सवारियां ढो रहे हैं। वहीं कई वाहन बिना परमिट और क्षमता से अधिक सवारियों का परिवहन कर रहे हैं। इन वाहन संचालकों के पास परिवहन विभाग से वाहन चलाने की अनुमति नहीं है।

तीसरी संतान के कारण एसीपी का लाभ वापस लेने और रिकवरी करने के आदेश पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तीसरी संतान होने के आधार पर कॉलेज शिक्षा विभाग के अधिकारी को पूर्व में दिए चयनित वेतनमान का लाभ वापस लेकर उसे तय समय के पांच साल बाद देने और इस अवधि में दी गई राशि की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में कॉलेज शिक्षा आयुक्त सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश राजकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अप्रैल, 2000 में कॉलेज शिक्षा विभाग में लिपिक नियुक्त हुआ था। उसकी नौ साल की सेवा पूरी होने पर उसे जून, 2010 में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और मई, 2015 में उसे वरिष्ठ सहायक के तौर पर पदोन्नत किया गया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने अक्टूबर, 2015 में एक परिपत्र जारी कर प्रावधान किया कि किसी भी कर्मचारी के दो से अधिक संतान होने पर उसे चयनित वेतनमान तय तिथि से पांच साल बाद दिया जाए। राज्य सरकार ने मई, 2024 में आदेश जारी कर उसे साल 2010 में दी गई एसीपी को निरस्त कर उसे साल 2015 से देने के आदेश दिए। इसके साथ ही इन पांच सालों में दिए गए भुगतान को अधिक बताकर उसकी रिकवरी निकाल दी। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि एसीपी निरस्त करने के आदेश से पूर्व न तो याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया और ना ही उसे सुनवाई का मौका मिला। वहीं उसे एसीपी का लाभ देते समय संबंधित परिपत्र अस्तित्व में ही नहीं था। ऐसे में परिपत्र को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राज्य सरकार स्वयं की पूर्व दो से अधिक संतान होने पर एसीपी के लाभ को पांच के बजाए तीन साल रोकने का परिपत्र जारी कर चुकी है। वही राज्य सरकार ने हाल ही में एक अन्य परिपत्र जारी कर प्रावधान किया है कि तीसरी संतान के आधार पर किसी कर्मचारी की एसीपी नहीं रोकी जाएगी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसीपी रोकने और रिकवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

रिटायर कर्मचारी को आरजीएचएस स्कीम का लाभ देने के आदेश

जयपुर। हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी से रिटायर हुए कर्मचारी को आरजीएचएस स्कीम का लाभ देने का निर्देश देते हुए विभाग को कहा है कि वह 30 दिन में प्रार्थी के ब्लॉक किए गए कार्ड को भी एक्टिव करे। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश भादरमल सैनी की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि रिटायर कर्मचारी के कार्ड को आरएसआरटीसी की ओर से ब्लॉक करना मनमाना है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया कि राज्य सरकार ने साल 2021 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कैश-लेस हेल्थ स्कीम शुरू की और बाद में इसे पेंशनर्स पर भी लागू किया। वहीं 19 जनवरी 2023 के आदेश से आरएसआरटीसी के रिटायर कार्मिकों को भी इस स्कीम के दायरे में लाया गया। प्रार्थी ने भी मई 2022 से नवंबर 2022 के दौरान कैश-लेस स्कीम का लाभ लिया, लेकिन विभाग ने इसे गलत बताते हुए प्रार्थी को 5,15,939 रुपए जमा करवाने के लिए कहा। रोडवेज प्रबंधन की कार्रवाई को प्रार्थी ने जब हाईकोर्ट में चुनौती दी तो उसका आरजीएसएच कार्ड ही ब्लॉक कर दिया गया।

पहलगांव में आतंकी हमला कायरतापूर्ण : डॉ. पूनिया

जयपुर। पहलगाम में कायराना आतंकी वारदात को लेकर भाजपा हरियाणा प्रभारी, भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने बयान जारी कर कहा कि, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला कायरतापूर्ण और निंदनीय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत सरकार तथा भारत की सेना देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, मजबूती एवं स्वाभिमान के लिये प्रतिबद्ध है, जो आतंकवादियों, आतंकी सरगनाओं और हर आतंकी वारदात का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। पहलगाम आतंकी हमले के दिवंगतों को विनम्र श्रद्धांजलि और पीड़ित परिवारजनों को ईश्वर से संबल प्रदान करने एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देश एवं नागरिकों की सुरक्षा मोदी सरकार के लिए प्राथमिकता है, इस कायराना आतंकी वारदात में शामिल किसी भी आतंकी को बक्शा नहीं जाएगा, यह प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री ने देश को आश्वस्त किया है, इससे पहले भी मोदी सरकार के नेतृत्व में देश के बॉर्डर से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक आतंकियों को ठिकाने लगाने में भारत की बहादुर सेना ने तत्परता दिखाई।

वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को अमानवीय कृत्य बताया है। उन्होंने कहा है कि यह मानवता के सिद्धांतों पर कायराना प्रहार है। देवनानी ने कहा है कि इस कायराना हमले में जयपुर के नीरज उधवानी सहित अनेक लोगों की मृत्यु पीड़ादायक है। इस हमले में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति देवनानी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है।

भारत में आर्मेनिया के राजदूत ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से की भेंट

जयपुर। भारत में आर्मेनिया के राजदूत वाहान आफयान ने बुधवार को उद्योग भवन में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से भेंट की। इस अवसर पर आफयान ने प्रदेश में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल क्रियान्वयन के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी।

इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ने वैश्विक मंच पर राजस्थान की उद्यमशीलता और नवाचार की क्षमता को प्रदर्शित किया है। कर्नल राठौड़ ने आर्मेनिया के साथ स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की शासन सचिव एवं आयुक्त भी उपस्थित थीं।

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिये कार्यशाला आज

जयपुर। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव बाल अधिकारिता विभाग कुलदीप रांका ने बताया कि उपमुख्यमंत्री एवं बाल अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी तथा बाल अधिकारिता राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार की उपस्थिति में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला गुरूवार को इन्दिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित होगी। उक्त कार्यशाला के अन्तर्गत बाल अधिकारों के संबंध में विभिन्न मुद्दों यथा बाल शोषण (पॉक्सो), बालश्रम, बाल स्वास्थ्य, जेजे एक्ट, बाल विवाह इत्यादि पर चर्चा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत एक सांविधिक निकाय होने के नाते राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपने गठन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदेश में बच्चों के अधिकारों की निगरानी, संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्ण निष्ठा एंव समर्पण भाव से निरंतर उत्साहपूर्वक कार्यरत है।

आयोग का प्रयास है कि बच्चों की आवाज को प्राथमिकता एवं ईमानदारी के साथ प्रत्येक स्तर पर सुना जा सके एवं सभी बच्चे अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य में बच्चों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करने हेतु प्रयासरत है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, तथा बच्चों एवं देश का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

कार्यशाला में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति, शिक्षा विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं के विभिन्न अधिकारी सम्मिलित होंगे।

डॉ. शिल्पा राव रस्तोगी को डॉ. एस. राधाकृष्णन पुरस्कार

जयपुर। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर के विधि विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. शिल्पा राव रस्तोगी को शोध प्रयास 2025-रिसर्च कॉन्क्लेव के समापन समारोह के अवसर पर प्रतिष्ठित डॉ. एस. राधाकृष्णन सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें विधि शिक्षा में उत्कृष्ट शिक्षण, छात्र मार्गदर्शन और उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, डॉ. रस्तोगी को विश्वविद्यालय के शोध क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए शोध प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया। उनके निरंतर प्रयासों ने विशेष रूप से विधिक अध्ययन के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के शैक्षिणक और शोध वातावरण को समृद्ध किया है। यह सम्मान प्रो. (डॉ.) एन.डी. माथुर (प्रेसिडेंट), प्रो. (डॉ.) डी.वी.एस. भगवानुलु (प्रो-प्रेसिडेंट), डॉ. प्रवीण चौधरी (रजिस्ट्रार), एवं डॉ. अमनदीप गिल (डीन - अनुसंधान एवं विकास) की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदान किए गए। नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू), भोपाल की पूर्व छात्रा, डॉ. शिल्पा राव रस्तोगी ने मानवाधिकार एवं अंतरराष्ट्रीय कानून में एलएल.एम. तथा भारत में लैंगिक पहचान और यौन अभिविन्यास के मुद्दों पर पीएच.डी. प्राप्त की है। विधिक अकादमिक क्षेत्र में दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाली डॉ. रस्तोगी को उनके विद्वत्तापूर्ण कार्य, शिक्षण में समर्पण तथा अगली पीढ़ी के विधिक पेशेवरों के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है।

डॉ.शिल्पा राव रस्तोगी

'जूनियर लीगल ऑफिसर पद पर नियुक्ति देने पर विचार करे हाउसिंग बोर्ड'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड की जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती-2023 के मामले में याचिकाकर्ता को ओबीसी श्रेणी में सभी परिलाभ सहित नियुक्ति देने पर विचार करने के लिए कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश जसलोक यादव की याचिका को मंजूर करते हुए दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुणाल रावत ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड ने साल 2023 में जूनियर लीगल ऑफिसर के पद की भर्ती निकाली थी। इसमें याचिकाकर्ता ने भी भाग लिया और ओबीसी श्रेणी में 60 फीसदी अंक लाकर परीक्षा पास की। इसके बावजूद विभाग ने ओबीसी श्रेणी में याचिकाकर्ता का चयन और नियुक्ति देने की बजाय सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का चयन करते हुए उसे नियुक्ति दे दी। इसे प्रार्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब ओबीसी श्रेणी में प्रार्थी मौजूद था तो इस श्रेणी के पद को सामान्य अभ्यर्थी से भरना गलत है। इसलिए उसे ओबीसी श्रेणी में नियुक्ति दी जाए। अदालत ने प्रार्थी पक्ष की दलीलों से सहमत होकर प्रार्थी की नियुक्ति पर हाउसिंग बोर्ड को विचार करने के लिए कहा है।

'राजकीय अस्पतालों में मा योजना का होगा प्रभावी संचालन'

जयपुर। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के सफलतापूर्वक संचालन एवं क्लेम की प्रक्रिया एवं भुगतान को सुगम बनाने के संबंध में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में बुधवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों, आरयूएचएस अस्पताल, जयपुरिया चिकित्सालय एवं राजस्थान के समस्त सरकारी चिकित्सालयों के प्रभारियों ने भाग लिया।

■ 'दावा प्रक्रिया होगी और सुगम, राजकीय अस्पतालों का राजस्व बढ़ेगा'

कार्यशाला को संबोधित करते हुए चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि आमजन को इलाज के खर्च से चिंतामुक्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की है। इसके माध्यम से प्रदेश के करीब 1800 निजी एवं राजकीय अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमजन को इस योजना का पूरा लाभ मिले और राजकीय अस्पतालों में क्लेम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के सफलतापूर्वक संचालन एवं क्लेम की प्रक्रिया एवं भुगतान को सुगम बनाने के संबंध में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में बुधवार को प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि मा योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इससे प्रदेश के करीब 1 करोड़ 32 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के दायरे को लगातार बढ़ाया है। अब इस योजना में सामान्य बीमारियों से लेकर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिदिन करीब 8 हजार रोगी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अस्पताल के अधिकारियों एवं कार्मिकों को इस योजना के हर प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी हो, ताकि क्लेम के भुगतान में किसी तरह की बाधा नहीं आए।

पोषण पखवाड़ा का हुआ आयोजन

जयपुर। पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जिला स्तरीय पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। मंगलवार को जवाहर कला केन्द्र में पोषण पखवाड़ा का समापन समारोह आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेन्द्र कुमार सोनी ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विभाग के निदेशक ओम प्रकाश बुनकर द्वारा पोषण पखवाड़ा में बनाई जा रही गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। अनुपमा टेलर अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) ने पोषण ट्रैकर पर की जा रही विभागीय एंट्री की समीक्षा की।

महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक अरशदीप बरार ने बताया कि राष्ट्रीय मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार तथा सामुदायिक लामबंद रणनीतियों के माध्यम से पोषण परिणामों को बढाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान केन्द्रित करना, पोषण टैंकर मे लाभार्थी मॉडयूल का लोकप्रियकरण करना सीएमएएम मॉडयूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन करना तथा बच्चों में मोटापे से निपटने के लिए स्वस्थ जीवनशैली की थीम निर्धारित की गई।

कृषि विभाग की बजट घोषणाओं को तय समयावधि में करें पूरा : राजन विशाल

जयपुर। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में बुधवार को कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं के अनुसार सभी योजनाओं को तय समयावधि में पूर्ण करें। शासन सचिव ने कहा कि बजट में शामिल घोषणाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को दूर कर प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करें। योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक कृषकों को लाभ पहुंचाये, जिससे किसान योजनाओं का लाभ लेकर अपनी पैदावार में वृद्धि कर सकेंगे।

बैठक में फार्म पौण्ड, डिग्गी, सिंचाई पाईप लाईन, कृषि यंत्र, तारबंदी, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, बीज मिनिकिट वितरण सहित अन्य योजनाओं पर विस्तार से समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

■ 'बजट में शामिल घोषणाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को दूर कर प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करें'

राजन विशाल ने सभी अधिकारियों को ई-फाईल निस्तारण का औसत समय और कम करने के लिए कहा। सभी सीनियर अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का ई-फाईल डिस्पोजल टाईम समय-समय पर चैक करने के निर्देश प्रदान किये।

बैठक में आयुक्त कृषि सुश्री चिन्मयी गोपाल, निदेशक आत्मा डॉ. सुवालाल जाट, वित्तीय सलाहकार कृषि अचलेश्वर मीना, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) एस.एस. शेखावत, अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) गोपाल लाल जाट, अतिरिक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) डॉ. हुशियार सिंह सहित सम्बन्धित योजना प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे।